

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2019/46

दायर दिनांक 30.01.2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. राजाराम कावरा पुत्र स्व. तुलछीराम उम्र 54 वर्ष जाति महाजन निवासी निम्बीखुर्द हाल निवासी मुन्दडा की गली डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)		1. कैलाश पुत्र उँकारमल 2. प्रेम पुत्र उँकारमल 3. रामूराम पुत्र उँकारमल 4. हुलाशीदेवी पत्नि उँकारमल समस्त जाति महाजन निवासी निम्बीखुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 5. सुरेशकुमार पुत्र स्व. तुलछीराम 6. कमल पुत्र स्व. तुलछीराम 7. गोपीकिशन पुत्र स्व. तुलछीराम समस्त जाति महाजन निवासी निम्बीखुर्द हाल निवासी मुन्दडा की गली डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 8. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना 9. पुर्णमल पुत्र चौथमल जाति महाजन निवासी निम्बीखुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)

दावा घोषणा खातेदारी हस्व धारा 88,

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित-

1. श्री राजेश कुमार राखेचा अधिवक्ता, वादी।
2. प्रतिवादीगण सं० 01 ता 09 अनुपस्थित।

--: निर्णय :-

दिनांक 11.02.2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा विजयनगर पटवार हल्का निम्बी कला की शहरद मे खेत ख.न. 172 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 173 रकबा 06 बीघा स्थित है, जो उँकारमल, पुर्णमल, तुलछीराम, कौम महाजन साकिन निम्बीखुर्द के नाम सामलाती कब्जा काश्त की जमीन है। नकल खतौनी सम्वत 2071-2074 की पेश है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 व 09 एक ही दादा व पडदादा के वारिसान है। वादी व प्रतिवादीगण 01 ता 07 व 09 की वंशावली दावा मे दर्शाई गई है।

चौथमल के तीन पुत्र उँकारमल, पुर्णमल, तुलछीराम,, हुए। उँकारमल, और तुलछीराम फौत हो चुके है। तथा पुर्णमल के कोई पुत्र या पुत्री नही हुआ। पुर्णमल

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

नाऔलाद है तथा तुलछीराम के सामील मे रहता है। पुर्णमल की उम्र 85 वर्ष हो चुकी है। जो प्रतिवादी संख्या 09 हैं। उँकारमल के वारिसान में प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 है, तथा तुलछीराम के वारिसान मे वादी व प्रतिवादी संख्या 05 ता 07 है।

उँकारमल, पुर्णमल, तुलछीराम ने अपने जीवनकाल मे ही चौथमल की सम्पूर्ण जायदाद का मौखिक बन्टवारा कर अलग-अलग हो गये थे। तथा पुर्णमल शुरू से ही तुलछीराम के पास रहता था और मौखिक बन्टवारा से वादी के पिता के बन्ट मे मौजा विजयनगर पटवार हल्का निम्बी कला की शहरद मे खेत ख.न. 172 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 173 रकबा 06 बीघा प्राप्त हुई थी। और उँकारमल को अन्य खेत व मकान बन्ट मे दिये गये थे। पुर्णमल नाऔलाद होने के कारण अपना हिस्सा नहीं रखा।

तुलछीराम ने अपने जीवनकाल मे ही अपने चारो पुत्रो, वादी व प्रतिवादी संख्या 05 ता 07 के बीच अपनी सम्पूर्ण जायदाद का बन्टवारा कर अलग-अलग बन्ट मे जमीन जायदाद मकान व दुकान दे दी थी। उक्त मौखिक पारिवारिक बन्टवारा में वादी राजाराम काबरा को मौजा विजयनगर पटवार हल्का निम्बी कला की शहरद मे खेत ख.न. 172 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 173 रकबा 06 बीघा बन्ट मे दिया गया तब से लेकर आज दिन तक उपरोक्त खेतो पर कब्जा काश्त वादी का ही है। और वादी ही उपरोक्त खेतो मे फसल उगाता है। और देखभाल करता आया है।

मौजा विजयनगर पटवार हल्का निम्बी कला की शहरद मे खेत ख.न. 172 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 173 रकबा 06 बीघा की जमीन वादी के बन्ट व कब्जा काश्त मे होने के बावजूद भी आज तक उपरोक्त खेतो की खातेदारी उँकारमल, पुर्णमल, तुलछीराम पिसरान चौथमल के नाम दर्ज है। जिससे वादी द्वारा राज्य सरकार से समय-समय पर मिलने वाली योजना का लाभ नहीं उठा सकने के कारण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के पिता उँकारमल व प्रतिवादी संख्या 09 का नाम खातेदारी मे दर्ज होने से जमीन बैचने के फिराक में होने से वादी के जायज खातेदारी अधिकार खतरे मे पड गये है। वादी अपने पिता द्वारा मौखिक पारिवारिक बन्टवारा से प्राप्त उपरोक्त खेतो की जमीन अपने नाम घोषणा कराने का अधिकारी है। घोषणा खातेदारी का दावा पेश है।

प्रार्थना वादी है कि

कि वाद की डिक्री बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 इस अमर की सादर फरमाई जावे कि मौजा विजयनगर पटवार हल्का निम्बी कला की शहरद मे खेत ख.न. 172 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 173 रकबा 06 बीघा की खातेदारी उँकारमल, पुर्णमल, तुलछीराम पिसरान चौथमल के स्थान पर वादी के नाम घोषित की जावे। तथा उपरोक्त खेतो की खातेदारी मे से उँकारमल, पुर्णमल, तुलछीराम पिसरान चौथमल का नाम हटाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनांक 11.02.2019 को समस्त प्रतिवादीगण जरिये पोस्टो ऑफीस रजिस्ट्री के तामील होने के बावजूद अनुपस्थित होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 के विरुद्ध एकपक्षिये कार्यवाही अमल मे लाई गई।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

सहायक फलेक्टर
डिब्बाना (नागौर)


अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

:-आदेश:-

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा विजयनगर पटवार हल्का निम्बी कला की शहरद में खेत ख.न. 172 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 173 रकबा 06 बीघा की खातेदारी, उँकारमल, पुर्णमल, तुलछीराम पिसरान चौथमल के स्थान पर वादी के नाम घोषित की जाती है। तथा उपरोक्त खेतों की खातेदारी में से उँकारमल, पुर्णमल, तुलछीराम पिसरान चौथमल का नाम हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक R.A.S. (कलेक्टर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 11.02.2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक R.A.S. (कलेक्टर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

डिगरी बमुकददमें इत्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाक्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2019/46

दायर दिनांक 30.01.2019

वादी	वनाम्	प्रतिवादीगण
1. राजाराम कावरा पुत्र स्व. तुलछीराम उम्र 54 वर्ष जाति महाजन निवासी निम्बीखुर्द हाल निवासी मुन्दडा की गली डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)		1. कैलाश पुत्र उँकारमल 2. प्रेम पुत्र उँकारमल 3. रामूराम पुत्र उँकारमल 4. हुलाशीदेवी पत्नि उँकारमल समस्त जाति महाजन निवासी निम्बीखुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 5. सुरेशकुमार पुत्र स्व. तुलछीराम 6. कमल पुत्र स्व. तुलछीराम 7. गोपीकिशन पुत्र स्व. तुलछीराम समस्त जाति महाजन निवासी निम्बीखुर्द हाल निवासी मुन्दडा की गली डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 8. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना 9. पुर्णमल पुत्र चौथमल जाति महाजन निवासी निम्बीखुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)

दावा घोषणा खातेदारी हस्व धारा 88,

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 11.02.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिव
मुददई श्री, राजेश कुमार वादी उपरिथत व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 अनुपस्थित ।
मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि-


हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा विजयनगर पटवार हल्का
निम्बी कला की शहरद मे खेत ख.न. 172 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 173
रकबा 06 बीघा की खातेदारी, उँकारमल, पुर्णमल, तुलछीराम पिसरान चौथमल के स्थान
पर वादी के नाम घोषित की जाती है। तथा उपरोक्त खेतों की खातेदारी मे से
उँकारमल, पुर्णमल, तुलछीराम पिसरान चौथमल का नाम हटाया जाता है। तदनुसार
राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
..खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा
करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 11.02.2019 को जारी की
गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	—	—	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			थमजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना